रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03042021-226358
CG-DL-E-03042021-226358

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943
No. 139] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

IndiaCode

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021

सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप-धारा (2) के उप-खंडों (ड.), (ड), (ढ), (ण) और (त) के साथ पठनीय धारा 52 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः

1. इन विनियमों का नाम 'पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2021' है।

2. ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 में -

(I) विनियम 13 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

"वार्षिक शुल्क- प्रत्येक पेंशन निधि प्रत्येक तिमाही के अनुवर्ती माह के 10 वें दिन या पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने से 10 दिन के अंदर अनुसूची-3 में उल्लिखित या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित वार्षिक शुल्क तिमाही आधार पर जमा करेगी।"

(II) विनियम 20 के उप-विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नए उप-विनियम को जोड़ा जाएगा–

"(3) निवेश प्रबंधन शुल्क, ब्रोकरेज और अभिरक्षक शुल्क और उन पर लागू करों के अतिरिक्त है।

परन्तु यह कि ब्रोकरेज को केवल इक्विटी लेनदेन के लिए, जो कि सभी लागू करों सहित अधिकतम 0.03% या जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है, एनएवी के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

(III) अनुसूची III के भाग क के तहत तालिका में, "वार्षिक शुल्क" का उल्लेख करने वाली पंक्ति को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा-

वार्षिक शुल्क	*जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है या रु. 10,00,000/- प्रतिवर्ष (रु. 2,50,000/- प्रति तिमाही या उसके भाग के लिए) जो अधिक हो।*	*अप्रतिदेय/प्रबंधन के तहत आस्तियों का प्रतिशत :* *प्रबंधन के अधीन आस्तियों की राशि, जो पूर्व तिमाही के अंतिम दिन है, को माना जाएगा।*	*प्रत्येक तिमाही के अनुवर्ती माह के 10वें दिन या पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने से 10 दिन के अन्दर, तिमाही आधार पर भुगतान।*

(IV) अनुसूची 7 के तहत अनुच्छेद IX के उप अनुच्छेद 9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

"9. निवेश लागत में केवल स्टाम्प प्रभार और ब्रोकरेज, उन पर लागू करों सहित शामिल होंगे। निजी तौर पर किए गए ऋण लिखतों के बारे में, पेंशन निधियों के लिए आरम्भ की गई छूट को निवेश की लागत में घटा देना चाहिए।"

(V) अनुसूची 7 के तहत अनुच्छेद IX के उप अनुच्छेद 11 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा –

"11. निवेश प्रबंधन शुल्क, ब्रोकरेज और अभिरक्षक शुल्क तथा उन पर लागू करों को छोड़कर सभी लेनदेन सम्बन्धी शुल्क सहित हैं। निवेश प्रबंधन शुल्क की गणना पेंशन निधि द्वारा दैनिक आस्ति प्रबंधन के आधार पर की जाती है। प्राधिकरण को देय शुल्कों को योजना से प्रभारित नहीं किया जाएगा।"

सुप्रतिम बन्दोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन -III/4/असा./03/2021-22]

पाद टिप्पणी :

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि), विनियम, 2015 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र भाग-III खंड- 4 में 19 मई, 2015 को प्रकाशित किया गया।
2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र भाग-III खंड- 4 में 8 सितंबर, 2016 को प्रकाशित किया गया।

IndiaCode

3. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र भाग-III खंड- 4 में 5 फरवरी, 2020 को प्रकाशित किया गया I

4. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2020 को अधिसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/9 के माध्यम से भारत सरकार के राजपत्र भाग-III खंड- 4 में 14 मई, 2020 को प्रकाशित किया गया I

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2021

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (PENSION FUND) (FOURTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

No. PFRDA/12/RGL/139/9.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clauses (e), (m), (n), (o) and (p) of sub-section (2) thereof of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 namely,-

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Fourth Amendment) Regulations, 2021.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015:-

(I). Regulation 13 shall be substituted as below-

"Annual Fee- Every pension fund shall deposit with the Authority, by 10th day of subsequent month of each quarter or within ten days of grant of certificate of registration, the annual fee payable on quarterly basis, as specified in Schedule III or as may be determined by the Authority from time to time."

(II). In Regulation 20, the following new sub-regulation shall be added after sub-regulation (2) -

"(3) The investment management fee is exclusive of brokerage and custodian fee alongwith applicable taxes thereon.

Provided that the brokerage shall be adjusted against scheme NAV, subject to maximum of 0.03%, inclusive of applicable taxes or as may be determined by the Authority from time to time.

(III). In table under Part A of Schedule III, the row mentioning "Annual Fee" shall be substituted as below-

Annual Fee	*As determined by the Authority from time to time, subject to minimum Rs.10,00,000/- per annum (Rs.2,50,000/- per quarter or part thereof).*	*Non-Refundable/ % of AUM:* *The amount of the Assets under Management shall be considered as on last day of preceding quarter.*	*By 10th day of subsequent month of each quarter or within ten days of grant of Certificate of Registration, payable on quarterly basis.*

(IV). Sub-paragraph 9 of paragraph IX under Schedule VII, shall be substituted as below-

"9. The cost of investment shall include only the stamp charges and brokerage alongwith applicable taxes thereon. For privately placed debt instruments, any front-end discount offered to the pension fund shall be excluded from the cost of the investment."

(V). Sub-paragraph 11 of paragraph IX under Schedule VII, shall be substituted as below-

"11. The Investment Management Fee is inclusive of all transaction-related charges except brokerage and custodian charges alongwith applicable taxes thereon. The Investment Management Fee is calculated on the daily assets managed by the pension fund. Fees payable to the Authority shall not be charged to the scheme."

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, Chairperson

[ADVT-III/4/Exty./03/2021-22]

Footnote:

1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 19th May, 2015 vide No. PFRDA/12/RGL/139/9.
2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (First Amendment) Regulations, 2016 were published in the Gazette of India on 8th September, 2016 vide No. PFRDA/12/RGL/139/9.
3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Second Amendment) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India on 5th February, 2020 vide No. PFRDA/12/RGL/139/9.
4. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Pension Fund) (Third Amendment) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India on 14th May, 2020 vide No. PFRDA/12/RGL/139/9.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.04.03 11:19:05 +05'30'